

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड

(आप.प्रक.क्र. :- 879 / 2015)

(संस्थित दिनांक :- 16 / 11 / 15)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. विनोद राणा पुत्र हरी सिंह राणा, उम्र 41 वर्ष,
निवासी :- ग्राम चम्हेड़ी, थाना-मौ, जिला :- भिण्ड (म.प्र.)।

..... अभियुक्त।

// निर्णय //

(आज दिनांक :- 28 / 02 / 2017 को घोषित)

01. आरोपी विनोद राणा पर धारा :- 25 (1-B(a)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी ने दिनांक :- 01 / 09 / 2015 को सुबह लगभग 10:30 बजे गोहद तिराहा डाक बंगला के पास मौ में, अपने आधिपत्य में अवैध रूप से एक 315 बोर का कट्टा एवं दो जिंदा कारतूस बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखे।

02. प्रकरण में आरोपी अधिवक्ता द्वारा आरोपी की ओर से जिलादण्डाधिकारी द्वारा दी गई अभियोजन चलाये जाने स्वीकृति प्र.

पी.07 को धारा 294 द.प्र.सं. के प्रावधान के अन्तर्गत सत्य होना स्वीकार किया है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 01 / 09 / 2015 को थाना मौ के एएसआई भैयालाल को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम चम्हेड़ी का विनोद राणा कट्टा लगाये हुये बस से आ रहा है, जो डाक बंगला पर उतरेगा। उक्त सूचना की तश्दीक हेतु हमराह आरक्षक आसिफ खान, आरक्षक राजेश, आरक्षक राधामोहन को साथ लेकर मुखबिर के बताये स्थान पर पहुँचा, तभी झॉकरी की तरफ से एक बस आई और उक्त बस से विनोद राणा उतरा, बस आगे निकलते ही विनोद राणा को पकड़ लिया। आरोपी की तलाशी लेने पर पेंट की बेल्ट की नीचे बाई ओर एक कट्टा मिला, कट्टे की बैरल खोलकर देखा तो उसने एक जिंदा कारतूस लगा मिला और एक कारतूस पेन्ट की दाहिनी जेब में मिला। आरोपी से कट्टा एवं कारतूस रखने का लाईसेंस चाहा, तो उसने ना होना व्यक्त किया। आरोपी का उक्त कृत्य धारा 25 / 27 आयुध अधिनियम की परिधि में आने से आरोपी से उक्त कट्टा एवं कारतूसों को जब्त कर जब्ती पत्रक बनाया गया। तत्पश्चात् आरोपी विनोद को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। तत्पश्चात् आरोपी को मय माल मुल्जिम थाना वापस

लाकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 203/2015 अन्तर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। प्रकरण की विवेचना के दौरान आरक्षक राधामोहन, संजीव कुमार, भैयालाल एवं राजेश कुमार के कथन लेखबद्ध किये गये। जब्तशुदा कट्टा एवं कारतूसों का परीक्षण आयुध परीक्षक द्वारा कराया गया। जिला दण्डाधिकारी भिण्ड से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्त विनोद राणा के विरुद्ध धारा : 25 (1-B(a)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध का आरोप निर्मित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। उसका अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-

01. क्या आरोपी विनोद राणा ने दिनांक : 01/09/2015 को सुबह लगभग 10:30 बजे गोहद तिराहा डाक बंगला के पास मौ में, अपने आधिपत्य में अवैध रूप से एक 315 बोर का कट्टा एवं दो जिंदा कारतूस बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखे?

02. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

विचारणीय बिन्दु क्रमांक - 01

07. अभियोजन साक्षी एसआई भैयालाल सनोरिया अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 01/09/2015 को पुलिस थाना मौ में एसआई के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम चम्हेडी का विनोद राणा बस में बैठकर कट्टा लेकर मौ की तरफ भागा है। सूचना की तश्दीक हेतु वह लोग सर्किट हाउस के पास पहुँचे। साक्षी आगे कहता है कि झॉकरी की तरफ से एक बस आई, बस से विनोद राणा उतरा तो उसने विनोद राणा को पकड़ लिया और उसकी तलाशी ली तो पेंट की बेल्ट की नीचे बाई ओर एक कट्टा मिला, कट्टे की बैरल खोलकर देखा तो उसने एक जिंदा कारतूस लगा मिला और एक कारतूस पेंट की दाहिनी जेब में मिला। आरोपी से कट्टा एवं कारतूस रखने का लाईसेंस चाहा, तो उसने ना होना व्यक्त किया। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वार साक्षीगण के समक्ष मौके पर एक 315 बोर का कट्टा जिस पर एक चमकीला धागा

बंधा था एवं दो जिंदा कारतूस मौके पर सीलबंद कर जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 बनाया, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उक्त कट्टे का अवश जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 पर उसके द्वारा बनाया गया। तत्पश्चात् आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा प्रधान आरक्षक सुल्तान सिंह से रवानगी एवं वापसी इन्द्राज करवाई गई थी, रवानगी सान्हा प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। वापसी सान्हा प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् आरोपी को मय माल-मुल्जिम थाना वापस लाकर रोजनामचा सान्हा में वापसी इन्द्राज की गई थी। साक्षी आगे कहता है कि तत्पश्चात् उसके द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 203/15 अन्तर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि न्यायालय में प्रस्तुत कट्टा एवं कारतूस वहीं हैं, जो उसने आरोपी से घटनास्थल पर जब्त किये गये थे, कट्टा आर्टिकल ए-01 तथा कारतूस आर्टिकल ए-02 हैं।

08. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में भईयालाल अ.सा.04 का कहना है कि ऐसा नहीं हुआ था कि आरोपी विनोद राणा घटनास्थल पर मोटर साईकिल से आया हो। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी बस से आया था उसने बस रुकवाई थी और आरोपी स्वयं की बस से उतर आया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में भईयालाल अ.सा. 04 का कहना है कि साक्षी संजीव कुमार अ.सा.01 घटनास्थल पर मोटर साईकिल से मौ तरफ से आया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 07 में भईयालाल अ.सा.04 का कहना है कि साक्षी संजीव कुमार अ.सा.01 बस में बैठकर नहीं आया था। साक्षी राधामोहन अ.सा.05 का भी उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि आरोपी विनोद राणा घटनास्थल पर बस में आकर उतरा था। जबकि साक्षी संजीव कुमार अ.सा.01 का उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में का कहना है कि वह घटना दिनांक को गोहद से अपने ग्राम चम्हेड़ी बस से जा रहा था और प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में संजीव अ.सा.01 का कहना है कि जब बस अपने आप रुकी और वह उतरा तो उसने देखा कि दरोगा जी आरोपी विनोद को पकड़े हुये थे। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी विनोद जिस मोटर साईकिल से आ रहा था, वह हीरो होण्डा कम्पनी की थी और उक्त मोटर साईकिल से आरोपी ग्राम चम्हेड़ी से मौ की तरफ आ रहा था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में संजीव अ.सा.01 का कहना है कि उसने पुलिस कथन प्र.डी.01 देते समय ए से ए भाग का यह कथन नहीं दिया था कि गोहद की तरफ से एक बस आकर रुकी, जिसमें से आरोपी विनोद राणा उतरा, उक्त ए से ए भाग कैसे लिख लिया गया कारण नहीं बता सकता। जबकि प्रकरण के विवेचक सुल्तान सिंह अ.सा.03 ने उनके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि साक्षी संजीव अ.सा.01 ने उसे प्र.डी.01 के उक्त ए से ए भाग का कथन नहीं दिया था। इस प्रकार आरोपी विनोद एवं साक्षी संजीव अ.सा.01 में से कौन व्यक्ति घटनास्थल पर मोटर साईकिल से आया और कौन व्यक्ति बस से आया, इस वावत् साक्षी सुल्तान सिंह अ.सा.03, एएसआई भईयालाल अ.

सा.04, राधामोहन अ.सा.05 एवं संजीव अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभाष है और उक्त साक्षीगण इस वावत् एक-दूसरे के प्रतिकूल कथन करते हैं और यह तथ्य अभियोजन कथा को संदेहास्पद बनाता है।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में भईयालाल अ.सा.04 का कहना है कि आरोपी विनोद घटना दिनांक को गोल गले की टी-शर्ट पहने हुये था, लेकिन इसका उल्लेख उसने गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.02 में नहीं किया है। इसके प्रति-कूल साक्षी संजीव कुमार अ.सा.01 का उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में कहना है कि घटना दिनांक को आरोपी विनोद राणा ब्लैक एवं खाकी कलर की शर्ट एवं खाकी कलर का पेंट पहने हुये था। इस प्रकार घटना के समय आरोपी शर्ट पहने था अथवा टी-शर्ट पहने था और उक्त कपड़े किस रंग के थे, इस वावत् संजीव अ.सा.01 एवं भईयालाल अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभाष है।

10. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में भईयालाल अ.सा.04 का कहना है कि उसे घटनास्थल पर सारी कार्यवाही करने में 30-35 मिनट लगे थे। जबकि उसके साथ गये पुलिसकर्मी राधामोहन अ.सा.05 का उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में कहना है कि वह लोग घटनास्थल पर लगभग दस मिनट रुक थे। इस प्रकार भईयालाल सनोरिया अ.सा.04 के साथ मौके पर गये पुलिसकर्मी घटनास्थल पर कितनी देर रुके थे, इस वावत् भईयालाल अ.सा.04 एवं राधामोहन अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य विरोधाभाष है।

11. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में भईयालाल अ.सा.04 का कहना है कि आरोपी जिस बस से घटनास्थल पर आया था, वह बस उसके द्वारा रूकवाई गई थी। जबकि प्रकरण के कथित चक्षुदर्शी स्वतंत्र साक्षी संजीव अ.सा.01 का इस वावत् प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में कहना है कि जिस बस से वह आया था वह बस किसी ने रूकवाई नहीं थी, वह बस अपने आप ही रूक गई थी और वह उतर गया था। तब उसने देखा कि दरोगा जी अर्थात् भईयालाल अ.सा.04 आरोपी के पकड़े हुये थे। इस प्रकार कथित रूप से जिस बस से आरोपी विनोद राणा घटनास्थल पर पहुँचा था, वह बस भईयालाल द्वारा रूकवाई गई थी या स्वतः रूक गई थी, इस वावत् भईयालाल अ.सा.04 एवं संजीव अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य विरोधाभाष है।

12. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में संजीव अ.सा.01 का कहना है कि दरोगा जी ने उसके सामने आरोपी की मोटर साईकिल को भी जब्त किया था। जबकि जब्ती प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में उसका कहना है कि मोटर साईकिल उसके सामने जब्त नहीं की गई थी। जब्ती पत्रक प्र.पी.01 के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि उक्त जब्ती पत्रक के माध्यम से कोई मोटर साईकिल जब्त नहीं की गई है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में संजीव अ.सा.01 का कहना है कि वह आरोपी विनोद राणा को बचपन से जानता है, उसकी आरोपी विनोद से गांव में कोई पार्टीबंदी

अर्थात् विरोध या रंजिश नहीं है। साक्षी स्वतः कहता है कि लेकिन उसके भाई से आरोपी विनोद की पार्टीबंदी है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 07 में संजीव अ.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि प्रदीप शर्मा उसका भाई है और उसके भाई तथा आरोपी विनोद राणा के मध्य झगड़ा हो गया था। उपरोक्त साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि आरोपी विनोद राणा एवं साक्षी संजीव अ.सा.01 के भाई प्रदीप के मध्य विरोध या रंजिश है।

13. अभियोजन साक्षी सुनील बौहरे अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 10/09/2015 को पुलिस लाईन भिण्ड में आरक्षक आरमोरर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना मौ के अपराध क्रमांक 203/15 अन्तर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम में जब्तशुदा एक 315 बोर का कट्टा एवं दो 315 बोर के जिंदा कारतूस की जाँच उसके द्वारा की गई थी। जाँच के दौरान कट्टा का एक्शन चैक किया गया, एक्शन सही पाया गया, कट्टा चालू हालत में था, जिससे फायर किया जा सकता था। दो 315 बोर के कारतूस चालू हालत में थे, जिनसे फायर किया जा सकता था। उक्त कारतूस की पैदी पर 08 एम.एम.के.एफ. लिखा था। साक्षी आगे कहता है थाना मौ के आरक्षक सुल्तान सिंह के द्वारा थाना प्रभारी की तहरीर, पंचनामा, एफआईआर एवं जब्ती की नकल साथ में प्राप्त हुई थी। कट्टा एवं दो जिंदा कारतूस एक साथ एक सफेद कपड़ा में सीलबंद जाँच हेतु प्राप्त हुये थे। साक्षी आगे कहता है कि जाँच पश्चात् कर अपनी नमूना सील लगाकर उसी कपड़ा में सील बंद कर पुनः थाना वापस किया गया। इस वावत् उसके द्वारा दी गई आयुध जाँच रिपोर्ट प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी सुनील बौहरे अ.सा.02 के उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उसके द्वारा दी गई जाँच रिपोर्ट प्र.पी.03 के तथ्यों से भी हो रही है। प्रति परीक्षण उपरांत भी सुनील बौहरे अ.सा.02 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तात्त्विक रूप से अखण्डित रहा है। सुनील बौहरे अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि आरोपी से जब्तशुदा 315 बोर का कट्टा चालू हालत में था, जिससे फायर किया जा सकता था और आरोपी से जब्तशुदा दो 315 बोर के जिंदा कारतूस भी फायर किये जाने योग्य थे।

14. प्रकरण में आरोपी अधिवक्ता द्वारा आरोपी की ओर से जिलादण्डाधिकारी द्वारा दी गई अभियोजन चलाये जाने स्वीकृति प्र. पी.07 को धारा 294 द.प्र.सं. के प्रावधान के अन्तर्गत सत्य होना स्वीकार किया है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्रकरण में आरोपी विनोद राणा के विरुद्ध अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति प्र.पी.07 विधिवत् प्रदान की गई थी।

15. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी विनोद राणा ने दिनांक :- 01/09/2015 को सुबह लगभग 10:30 बजे गोहद तिराहा डाक बंगला के पास मौ में, अपने आधिपत्य में अवैध रूप से एक 315 बोर का कट्टा एवं दो जिंदा

कारतूस बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखे।

अंतिम निष्कर्ष

16. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी विनोद राणा के विरुद्ध धारा 25 (1-B(a)) आयुध अधिनियम के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी विनोद राणा को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-B(a)) के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

17. आरोपी द्वारा अन्वेषण या विचारण के दौरान अभिरक्षा में रह कर गुजारी गई, अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

18. प्रकरण में जब्तशुदा कट्टा एवं दो 315 बोर के जिंदा कारतूस अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को प्रेषित कर व्ययनित किये जायें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के व्ययन संबंधी आदेश का पालन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद